Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश मुकाम सूरतगढ़।

चुनी बनाम हीरा व अन्य।

किस्म मुकदमा :– 88,188,92ए,53,207 व 209 आर0टी0ए0 **प्रकरण संख्या:– 83/2014**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी
04/2/20	आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में दिनाक 18.10.2018 को पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी चुना की मृत्यू दिनाक 08.08.2018 को न्यायालय में प्रार्थी द्वारा सूचना दी जा चुकी है तथा प्रार्थी की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है मृतक चुनी के 2 पुत्र व 3 पुत्रीया है इसलिये प्रार्थना पत्र दिनाक 18.10.2018 को प्रार्थी गंगाराम द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनी के तमाम वारिसो को वादी न. 1/1 से 1/5 किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस करते हयु निवेदन किया कि वादी दिनाक 17.02.2018 को फौत हो चुका था। जिसके बाबत ना प्रार्थना पत्र में फौत होने की तारीख अकिंत है व ना ही वारिसनामा पेश किया तथा जब वादी दिनाक 17.02.2018 को ही फौत हो गया तो प्रार्थी ने 90 दिन में न्यायालय में वारिसो को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया तथा बाद में दिनाक 08.08.2018 को वादी की मृत्यू की सुचना दी व आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनाक 18.10.2018 को पेश किया है। जिसमें ना मियाद माफ किये जाने का हवाला है व ना ही प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया इसलिये दावा अपने आप में ही उप शमन्न हो चुका था कानूनी नजीर RRT 2013 (2) page 1415 व RRT 2010 (2) page 1458 पेशकर वाद वादी निरस्त करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया वादी की मृत्यू दिनाक 17.02.2018 को हो चुकी है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनाक 18.10.2018 को पेश किया है तथा प्रार्थी गंगाराम पुत्र चुनीलाल ने वारिसान को पक्षकार बनाने में हुई देरी के बाबत प्रार्थी ने ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया व ना ही इस प्रार्थना पत्र मे कोई सतोष जनक कारण दिया। प्रार्थी ने दावा में अबेटमेंन्ट निरस्ती के लिये भी 90 दिन के पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश नही किया इसलिये जब वादी ने दिनाक 17.02.2018 को स्वर्गवास हो गया है तो 90 दिन के पश्चात् भी दावे का अबेटमेंन्ट निरस्ती का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया इस प्रकार वादी का वाद अबेंट हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी निरस्त कर दावा अबेट होने योग्य है अतः प्रार्थी/गंगांराम पुत्र चुनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनाक 18.10.2018 निरस्त कर वाद वादी अबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 16:41:12 IST
Reason: SelfAttested